सुश्री सरोज पाण्डेय: सर, मैं यह कहना चाहती हूँ कि 2014 के बाद मोदी सरकार ने रोजगार के क्षेत्र में बहुत से काम किए हैं और उन्होंने महिलाओं की भी विशेष चिंता की है, लेकिन सरकार के द्वारा जारी PLFS सर्वे के अनुसार 15 वर्ष से अधिक आयु वाले 71 प्रतिशत पुरुषों को रोजगार मिल जाता है, परन्तु चिंता का विषय है कि इस आयु वर्ग की केवल 22 प्रतिशत महिलाएं ही रोजगार प्राप्त कर पाती हैं। महिलाओं को रोजगार के कम अवसरों के साथ उचित समान वेतन भी नहीं दिया जाता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार ने पुरुष और महिलाओं के बीच यह जो gap है, जो वेतन विसंगति है, इस विषय पर कोई विचार किया है और कोई योजना बनाई है?

राव इन्द्रजीत सिंह: सर, हमारे लिए पुरुष और महिलाओं के बीच कोई अन्तर नहीं समझा जाता है। हमारा प्रयास यह रहता है कि बराबरी के तौर पर महिलाएँ भी उतनी ही संख्या में नौकरी प्राप्त करें, जितनी पुरुष प्राप्त कर पाए हैं।

Underutilisation of Nirbhaya Fund

*272. Shri R. K. Sinha: Will the Minister of WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Nirbhaya Fund allocated to States for empowerment, safety and security of women and the girl child has been lying underutilised;

(b) if so, the details thereof and the reasons therefor;

(c) whether there is a shortage of special courts to try cases of rape and heinous crimes against women; and

(d) if so, whether Government is taking steps on expediting filling up the shortfall of these courts?

THE MINISTER OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) The Nirbhaya Framework provides for a non-lapsable corpus fund for safety and security of women to be administered by the Department of Economic Affairs (DEA) of the Ministry of Finance (MoF) of the Government of India. Further, it provides for an Empowered Committee (EC) of officers chaired by the Secretary, Ministry of Women & Child Development (MWCD) to appraise and recommend proposals to be funded under this framework. It also provides for the concerned Ministry/Department to seek approval of the designated competent financial authority, as well as of the DEA for funding of such proposals under the Nirbhaya

Framework. As per this framework, the MoF through DEA is the nodal Ministry for any accretion into and withdrawal from the corpus, and the MWCD is responsible to review and monitor the progress of sanctioned projects/schemes in conjunction with the concerned Central Ministries/Departments. Budget allocations against approved projects are made in the budget of the respective Ministries/ Departments through Demands or Supplementary Demands for Grants.

As such, in accordance with the Nirbhaya framework guidelines, the EC and the MWCD have been reviewing the progress of sanctioned projects/schemes in conjunction with the concerned Central Ministries/Departments with the aim to ensure proper and expeditious utilisation of Nirbhaya Fund for improving safety and security of women and the girl child. Further, as per this framework, monitoring and reporting mechanisms are mandated at State/UT level as well as at the level of the concerned Central Ministries/Departments. All the projects appraised by the EC are at various stages of implementation having staggered gestation periods for completion of the projects.

(c) and (d) Setting up of special courts is under the domain of State Governments and High Courts. However, as part of the proposed National Mission for Safety of women (NMSW), a Scheme on the lines of other Centrally Sponsored Schemes (CSS) for setting up Fast Track Special Courts (FTSCs) has been formulated for expeditious trial and disposal of pending cases of rape and Protection of Children from Sexual Offences (POCSO), Act. The Empowered Committee (EC) of Officers constituted under the Framework for Nirbhaya Fund has appraised the project for setting up of FTSCs at a total financial outlay of ₹ 767.25 crores.

श्री आर.के. सिन्हा: मान्यवर, हमारा जो प्रश्न था, शायद उसका उत्तर सही ढंग से बन नहीं पाया है। अभी तक निर्भया फंड का कम उपयोग किया जाता रहा है, तो मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि निर्भया फंड में अब तक कितनी राशि आई और उसमें से आपने कितनी राशि का उपयोग किया? कृपया यह भी बताएं कि किन किन राज्यों ने इस राशि का उपयोग किया और किस-किस काम के लिए किया? मेरे इन प्रश्नों का उत्तर, आपके लिखित उत्तर में कहीं नहीं है। कृपया इसका जवाब दिया जाए।

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी: महोदय, मैंने इस उत्तर के माध्यम से माननीय सांसद को अवगत कराया है कि निर्भया फंड का संचालन Ministry of Finance करती है। जब भी Implementation Agencies को कोई भी project implement करना होता है, तो उस project का सीधा संबंध fund allocation, financial progress अथवा physical progress से होता है, जो पूरा का पूरा Ministry of Finance के अंतर्गत आता है। 2015 में एक Empowered Committee का गठन किया गया, जिसके Chairperson, Ministry of Women and Child Development से हैं। इस Empowered Committee को, कोई भी राज्य अथवा autonomous body, Central Ministries के through

प्रस्ताव भेजती है। हमारे मंत्रालय की Empowered Committee, प्रोजेक्ट के जो मानक हैं, वे निर्भया फंड के मानक से मेल खाते हैं या नहीं खाते, इसके संदर्भ में अपनी टिप्पणी Ministry of Finance, प्रदेश की सरकारों अथवा भारत सरकार के जो बाकी मंत्रालय हैं, उन तक पहुंचाती है। 2013 में यह फंड स्थापित किया गया।

माननीय सदस्य महोदय ने यह पूछने का प्रयास किया है कि इस फंड के माध्यम से कितना काम हुआ है, तो मैं उन्हें अवगत कराना चाहती हूं कि 17 जुलाई, 2019 तक निर्भया फंड के माध्यम से, लगभग 29 कार्यक्रमों में 2,250 करोड़ रुपया, प्रदेश की सरकारों तक पहुंचाया गया है। अगर वे 2013-14 का विवरण मांगें, तो मात्र फरवरी, 2014 में एक प्रोजेक्ट का approval हुआ था, लेकिन वह प्रोजेक्ट धरातल पर नहीं लाया गया। 2014 से लेकर 2019 तक, विविध राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के माध्यम से 29 कार्यक्रम कराए गए हैं। हाल ही में Department of Justice ने, निर्भया फंड के अंतर्गत, देश भर में 1,023 Fast Track Courts के निर्माण की स्वीकृति दी है।

श्री आर.के. सिन्हा: महोदय, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि महिलाओं के विरुद्ध बलात्कार और अत्याचार की घटनाओं में भारी वृद्धि हुई है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इसका संज्ञान लिया है और इसका ज़िलेवार आंकड़ा भी मांगा है। तीन महीने में 24,000 बलात्कार हुए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिए जो विशेष न्यायाधिकरण की स्थापना होनी है, उसमें आपका मंत्रालय क्या कार्यवाही कर रहा है? कहा गया है, 'justice delayed is justice denied', तो किस प्रकार ज्यादा से ज्यादा न्यायालय गठित करके आप त्वरित से त्वरित न्याय दिलवाएंगी?

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी: महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय सांसद महोदय को अवगत कराना चाहती हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने POCSO के माध्यम से इसका संज्ञान लिया है और हर ज़िले से, जो लम्बित केसेज़ हैं, उनके संदर्भ में जानकारी मांगी है। 'Justice delayed is justice denied' की जिस व्यथा को माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया, हम उससे सहमत हैं, इसीलिए Department of Justice ने 1,023 Fast Track Courts के निर्माण के संकल्प को फलीभूत किया है। Criminal Law Amendment, 2018 के अंतर्गत प्रधान मंत्री के निर्देश पर इसी दृष्टि से यह काम किया गया है, ताकि त्वरित रूप से कानूनी कार्यवाही हो और महिलाओं एवं पीड़ित बच्चों को समाधान प्राप्त हो।

श्रीमती छाया वर्मा: माननीय उपसभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि यह निर्भया फंड पीड़िता को उसकी मृत्यु के पश्चात् मिलता है, अगर ऐसा है तो क्या आप इस नियम में संशोधन करेंगी?

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी: महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को अवगत कराना चाहती हूं कि निर्भया फंड, मात्र एक महिला के मरणोपरांत, उसके परिवार को तथाकथित मदद करने का फंड नहीं है। अगर विविध राज्य सरकारें अथवा भारत सरकार के विविध विभाग, महिला सुरक्षा से संबंधित कोई कार्यक्रम करना चाहें, तो उसमें भी इस फंड का उपयोग होता है। मैंने एक उदाहरण Department of Justice का दिया है, उसके साथ ही Railways में integrated system बनाने के लिए हमारे विभाग ने एक प्रोजेक्ट और दिया हुआ है, ताकि जो महिला यात्री हैं, उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मैं माननीय सांसद महोदया को यह भी बताना चाहती

हूं कि 2015 में, श्री नरेन्द्र मोदी जी के आदेशानुसार, Sakhi One Stop Centre की शुरुआत की गई है। ये सैंटर्स वर्तमान में देश के 33 राज्यों में संचालित हो रहे हैं। महिलाओं को प्रताड़ना की दृष्टि से अगर मदद चाहिए, तो ये सैंटर्स उस मदद को दिलवाने का प्रयास करते हैं। अब तक 2,20,000 महिलाओं को इन Sakhi One Stop Centers के माध्यम से मदद मिल चुकी है।

श्रीमती कहकशां परवीन: उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से यह जानना चाहती हूँ कि औरत जो होती है, वह शर्म-हया की मिट्टी से बनी होती है और महिलाओं के विरुद्ध होने वाले जघन्य अपराध की जब सुनवाई होती है, तो सुनवाई में उसकी मदद करने वाली जो वकील होती हैं या विपक्ष में जो वकील होते हैं, तो क्या सरकार महिला वकील और महिला जज रखेगी और अगर ऐसा है, तो हम लोगों आश्वस्त किया जाए।

†**محترمہ کہکشاں پروین:** آپ سبھا پی مہودے، می آپ کے مادھم سے مانئے منتری مہود سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ عورت جو ہوئی ہے، وہ شرم و ح علی کی مٹی سے بری ،ہوتی ہے اور مہلاؤں کے خلاف ہونے والے جگھنئے اپرادھہ کی جب سنوات ہوتی ہے تو سنوات می اس کی مدد کرنے والی جو وکل ہوتی ہے لی و پکش میل جو وکظ ہوتے دی، تو کل سرکار مر وکلی اور ملا جج رکھے گی اور اگر ایسا ہے، تو ہم لوگوں کو آشوست کی جائے۔

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी: महोदय, माननीय सांसद महोदया का आश्वासन प्राप्त करने का जो प्रयास है, उसमें मैं सहयोग इसलिए नहीं दे सकती, क्योंकि कानून मंत्री स्वयं सामने बैठे हैं, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि महिला क्यों, यह देश के पुरुषों का भी मान है कि सुप्रीम कोर्ट में आज हम एक महिला को देखते हैं। लेकिन हाँ, एक महिला होने के नाते मुझे लगता है कि सामाजिक स्तर पर हमें प्रयत्नशील होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा administration and execution of justice की दृष्टि से हम महिलाओं को प्रेरित और प्रोत्साहित करें। यह काम न सिर्फ Department of Justice के माध्यम से हो सकता है, बल्कि हमारे सामने शिक्षा मंत्री स्वयं विराजमान हैं, उनके माध्यम से भी हम कोशिश कर रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... यह हास्यास्पद विषय नहीं है। ...(**व्यवधान**)... मैं अनुमति चाहूँगी.. कुछ लोग इस विषय पर मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मैं यह मानती हूँ कि यह हास्यास्पद विषय नहीं है। हम अगर कोशिश करें तो ज्यादा से ज्यादा लीगल सर्विसेज़ में हम महिलाओं को प्रोत्साहन दे सकते हैं।

श्रीमती झरना दास बैद्य: महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदया से यह पूछना चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएँ बनायी जा रही हैं, लेकिन निर्भया फंड में इस बजट में, अभी जो 2019-20 का बजट पास हुआ है, इसमें महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए बजट इतना कम क्यों है? यह मैं जानना चाहती हूँ।

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी: महोदय, यह फंड non-lapsable है। इसका मतलब यह है कि अगर प्रदेश सरकारें विधिवत प्रोजेक्ट्स न दें, तो यह फंड lapse नहीं होता, यह accumulate होता जाता है। वर्तमान में मैंने जो राशि बतायी है, वह 2,250 करोड की है। प्रदेश सरकारों द्वारा अथवा हमारे Department of Justice, Ministry of Railways इत्यादि जैसी भारत सरकार की

† Transliteration in Urdu script.

शाखाओं के माध्यम से जब प्रोजेक्ट मानकों के आधार पर प्रस्तुत होता है, वह approve होता है, उसके बाद उसको क्रियान्वयन की दृष्टि से हम लोग लाते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से सदन को यह भी अवगत कराना चाहती हूँ कि Empowered Committee के पास आदेश यह है कि हम हर दो-तीन महीने में मिलें। मेरा प्रयास रहेगा, मैं वित्त मंत्री से आग्रह करूंगी कि Empowered Committee हर महीने मिले, ताकि हम प्रयत्नशील हों कि financial and physical progress of projects के ऊपर भी हम लोग ध्यान दे सकें।

नीति घाटी में सम्पर्क संबंधी समस्या

*273. **श्री पी.एल. पुनिया:** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत-चीन सीमा पर स्थित नीति घाटी के ग्यारह गांवों का संपर्क विगत दो माह से कटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त गांवों के साथ-साथ भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, सेना और सीमा सड़क संगठन की चौकियों में भी संचार सेवा पूर्णतया ठप्प पड़ी हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) उपग्रह में आई तकनीकी खामियों को दो महीनों के बाद भी ठीक नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

संचार, विधि और न्याय तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) भारत चीन सीमा के पास स्थित नीति घाटी के गांवो में सभी डिजिटल सेटेलाइट फोन टर्मिनल (डीएसपीटी) बाधित हुए हैं।

डिजिटल सेटेलाइट फोन टर्मिनल (डीएसपीटी) के माध्यम से संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (आईएसआरओ) की अनुषंगी कंपनी मैसर्स अंतरिक्ष से एनएसएस-6 उपग्रह (गैर-स्वदेशी उपग्रह) पर लगभग 25 मेगाहर्ट्स बैंडबिड्थ का प्रापण किया था। सुरक्षा चिंता का उल्लेख करते हुए मैसर्स अंतरिक्ष ने बीएसएनएल से डीएसटीपी सेवाओं को एनएसएस-6 सेटेलाइट से जीएसएटी-18 सेटेलाइट (स्वदेशी उपग्रह) पर अंतरित करने का बारंबार आग्रह किया। हांलाकि बीएसएनएल ने मैसर्स अंतरिक्ष से डीएसटीपी सेवाओं को एनएसएस-6 उपग्रह से जारी रखने का अनुरोध किया था क्योंकि इन सेवाओं को अंतरित करने में एंटीना का पुनः ओरियंटेशन करने/एंटीना मांउट को पुनः स्थापित करने आदि जैसे अनेक कार्यकलाप शामिल थे। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के अंतरण कार्यकलापों में अत्यधिक व्यय भी निहित था।

मैसर्स अंतरिक्ष ने दिनांक 13.05.2019 को एनएसएस-6 उपग्रह के ट्रांसपोंडर को यह उल्लेख करते हए बंद कर दिया कि उपग्रह की कार्य अवधि पहले ही पूर्ण हो चुकी हैं। इसकी वजह से दिनांक 13.05.2019 से डीएसटीपी सेवाएं बंद हो गईं।